न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

प्रा0पत्र/79/2014

समस्त नागरिक वार्ड नं. 3 सेवर तहसील भरतपुर जिला भरतपुर

......प्रार्थीयान

बनाम

1– (मृतक)रामजीलाल यादव(अहीर) श्री अयोध्या प्रसाद जाति यादव निवासी सेवर तहसील व जिला भरतपुर
2– (मृतका) शकुन्तला पत्नि रामजीलाल
1–2/1– प्रवेन्द्र पुत्र रामजीलाल यादव । जाति यादव निवासी सेवर तहसील व
1–2/2– अश्विनी पुत्री रामजीलाल यादव, । जिला भरतपुर
3–नगर परिषद भरतपुर (नगर निगम)
4–भगवानसिंह पुत्र विजयसिंह चौहान जाति चौहान निवासी सेवर तहसील व जिला भरतपुर
5–तहसीलदार भरतपुर

......अप्रार्थीयान

उपस्थितः–
1–श्री प्रमोद उपमन, अभिभाषक प्रार्थीयान
2–श्री पंकज कुमार अभिभाषक अप्रार्थी 1–2/1 एवं 1–2/2,

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 285 नगर पालिका अधिनियम

निर्णय **दिनांक 30.8.2024**

प्रार्थीयान वार्ड नम्बर 3 सवेर जिला भरतपुर ने एक प्रार्थना पत्र इस आश्य का पेश किया कि ग्रांम सेवर में हनुमान मन्दिर एवं उसके बगीचे की 50 मीटर पूर्व 41 मीटर उत्तर, 50मीटर पश्चिम, 39–1/2 मीटर दक्षिण मे सार्वजनिक जमीन पर रामजीलाल यादव पुत्र अयोध्या प्रसाद यादव निवासी सेवर ने नगर परिषद के कुछ अधिकारियों एवं कर्मचारियों से सांठ गांठ कर फर्जी कागजात तैयार कर उसे हड़पने का प्रयास किया जाता रहा है। जब कि उक्त मन्दिर में बगीची की जमीन को तत्कालीन ग्रांम पंचायत सेवर द्वारा दिनांक 16.7.1980 को उक्त हनुमान मन्दिर के लिये सर्व सम्मत्त प्रस्ताव के जरिये आरक्षित कर दिया गया था जो आज तक बदस्तूर है। धमकी दी है कि इस बाबत नगर परिषद से स्वीकृति भी ले ली है। तथा अब उसे उक्त मन्दिर की जमीन पर कब्जा करने से कोई नहीं रोक सकता है

............2

जिला कलक्टर
भरतपुर

प्रा0पत्र/79/2014
समस्त नागरिक वार्ड न.3 सेवर बनाम रामजीलाल यादव वगै0

यदि नगर परिषद से सांठ गांठ कर कोई मंजूरी आदि उक्त मन्दिर की जमीन बाबत ले ली हो तो उसकी पत्रावती तलब कर उसे तत्काल निरस्त फरमाया जावे।

प्रार्थी0 के प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र सुनवाई की जाकर इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 20.7.2009 को भगवानसिह पुत्र विजयसिंह जाति चौहान के हक में जारी पट्टा तारीखी 10.12.86 को निरस्त किये जाने की आज्ञा पारित की गई।

इस न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 20.7.2009 के खिलाफ रामजीलाल पुत्र अयोध्याप्रसाद यादव, निवासी सेवर जिला भरतपुर ने एक निगरानी निदेशक, स्थानीय निकाय, राज0 जयपुर के समक्ष पेश की गई। माननीय निदेशक, स्थानीय निकाय, राज0 जयपुर ने प्रस्तुत निगरानी एफ 53(221) निग/डीएलबी/11/1575 उनवानी रामजीलाल बनाम समस्त नागरिक वार्ड न.3 भरतपुर में पारित निर्णय दिनांक 28.04.2014 में इस न्यायालय के आदेश दिनांक 20.7.2007 की क्रियान्विती पर रोक लगाते हुये प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि सबंधित आवश्यक हितबद्ध पक्षकारों को भी पक्षकार बनाकर पुनः सुनवाई कर विधिसम्मत एवं युक्तियुक्त निर्णय पारित करें।

माननीय निदेशक, स्थानीय निकाय, राज0 जयपुर ने प्रस्तुत निगरानी एफ 53(221) निग/डीएलबी/11/1575 उनवानी रामजीलाल बनाम समस्त नागरिक वार्ड न.3 भरतपुर में पारित निर्णय दिनांक 28.04.2014 की पालना में प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर हितबद्ध पक्षकारों को पक्षकार मुकदमा बनाया जाकर उनकी तलबी की गई। तहसीलदार भरतपुर से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार भरतपुर से प्राप्त रिपोर्ट क्रमांक/एलआर/24/5154 दिनांक 14.8.2024 शामिल पत्रावली की गई। अप्रार्थी संख्या 3 व 4 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं आये। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से पूर्व में ही लिखित बहस भी पेश की हुई है जो पत्रावली में शामिल है।

योग्य अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि ग्रांम सेवर में स्थित हनुमान मन्दिर एवं उसके बगीचे की 50 मीटर पूर्व 41 मीटर उत्तर, 50मीटर पश्चिम, 39–1/2 मीटर दक्षिण मे सार्वजनिक जमीन को स्व0 रामजीलाल यादव पुत्र अयोध्या प्रसाद यादव निवासी सेवर ने नगर परिषद के कुछ अधिकारियों एवं कर्मचारियों से सांठ गांठ कर फर्जी कागजात तैयार कर उसे हड़पने का प्रयास किया जाता रहा है। योग्य अभिभाषक प्रार्थी0 का तर्क है कि विवादित भूमि मन्दिर की है ग्रांम पंचायत सेवर ने भगवानसिंह पुत्र विजयसिंह को कोई पट्टा विवादित आराजी का जारी नहीं किया गया है। अवैध पट्टे के आधार पर भगवानसिंह पुत्र विजयसिंह ने यह भूमि अप्रार्थी0 की माता को बेचान की है।

............3

जिला कलक्टर
भरतपुर

विवादित भूमि हनुमान मन्दिर की भूमि है, जिस पर अप्रार्थी न.1 ने मन्दिर की जमीन पर कब्जा कर लिया है, जिससे मन्दिर पर आने जाने वाले भक्तों को दिक्कत होती है। अप्रार्थी–1 विवादित जमीन पर निर्माण स्वीकृति लेना बताते हुये धमकी दी है कि अब उसे उक्त मन्दिर की जमीन पर कब्जा करने से कोई नहीं रोक सकता है यदि नगर परिषद से सांठ गांठ कर कोई मंजूरी आदि उक्त मन्दिर की जमीन बाबत ले ली हो तो उसकी पत्रावली तलब कर उसे तत्काल निरस्त फरमाया जावे।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी0 ने अपने तर्को में जाहिर किया कि विवादित जमीन उनकी मॉ ने जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा तारीखी 25.3.92 को भगवानसिंह पुत्र विजयसिंह से खरीद की थी। तभी से विवादित भूखण्ड पर रामजीलाल एवं उनके मृत्यू होने के बाद अप्रार्थी उनके पुत्र काबिज हैं। शिकायतकर्ता प्रार्थीगण विवादित भूमि को मन्दिर हनुमानजी की होना बताते हैं जो सरासर गलत है, उन्होने मन्दिर की जमीन होने बाबत कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है और नाहीं ग्रांम पंचायत की कोई भूमि आरक्षण करने की मंन्जूरी पेश की है। योग्य अभिभाषक अप्रार्थी0 का कथन है कि विवादित भूखण्ड पर हमारा वैधानिक कब्जा है। रजिस्टर्ड बैयनामा आज भी अस्तित्व में है इसे किसी भी सक्षम न्यायालय में चेलेन्ज नही किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा एक राय होकर अप्रार्थीगण का परेशान करने की नियत से यह प्रार्थना पर पेश किया गया है। प्रार्थीगण एकराय होकर अप्रार्थी0 के कब्जे भूखण्ड को हनुमान मन्दिर की जमीन बता कर हड़पना चाहते हैं। योग्य अभिभाषक ने निर्णय निदेशक, स्थानीय निकाय जयपुर के निर्णय दिनांक 28.4.2014 की ओर आकर्षित करते हुये जाहिर किया कि माननीय निदेशक महोदय ने भी विवादित भूमि को प्रार्थीगण की माना है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली का अध्ययन किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया गया। माननीय निदेशक स्थानीय निकाय राज0 जयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 28.4.2014 में निम्न आक्षेप लगाते हुये प्रकरण को पुनः सुनवाई कर निर्णय किये जाने हेतु रिमान्ड किया है :–

1– पार्षद (शिकायतकर्ता) ने परिषद के पत्र पर 18.4.2005 को निर्माण स्वीकृति की है।

2– निगरानी के बिन्दु सं. 1 के परिशीलन पर यह तथ्य प्रमाणित नहीं होता कि विवादित भूमि बाबत ग्रांम पंचायत सेवर द्वारा दिनांक 16.7.1980 को प्रस्ताव पारित कर हनुमान मंदिर हेतु आरक्षित की हो। नगर परिषद भरतपुर ने भी अधीनस्थ न्यायालय में जो जबाब प्रस्तुत किया है उसमें उक्त तथ्यों पर कोई टिप्पणी नहीं कर यह स्वीकार किया है।

जिला कलक्टर
भरतपुर

............4

3—बिन्दु सं. 2 व 3 के सबंध में विधि का यह स्पष्ट प्रावधान है कि प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार को सुनवाई का अवसर दिये बिना उसके बिरुद्ध आदेश पारित नहीं किया जाना चाहिये। वर्तमान प्रकरण में श्रीमती शकुन्तला पत्नी श्री रामजीलाल यादव विवादित भूखण्ड पर वहैशियत क्रेता जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 25—2—1992 के बतौर मालिक व काबिज है अतः यह सीधे तौर पर प्रभावित होने के कारण आवश्यक पक्षकार बनायी जानी चाहिये थी। साथ ही श्री भगवानसिंह पुत्र विजयसिंह चौहान जिसको ग्रांम पंचायत सेवर द्वारा दिनांक 10.12.1986 को भूमि आंबटित की गई है को भी इस प्रकरण में पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है जो आक्षेपित आदेशों से प्रकट नहीं होता।
4— विवादित बिन्दू सं. 1 को साक्ष्य के आधार पर निर्णित किया जाना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ग्रांम पंचायत सेवर का हनुमान मंदिर को भूमि आरक्षित करने संबधित रिकार्ड बतौर साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुआ है अतः साक्ष्य के अभाव में जिला कलक्टर भरतपुर के समक्ष प्रस्तुत शिकायत में वर्णित भूमि हनुमान मंदिर व बगीचे के लिये आरक्षित होना साबित नहीं होता ।
5— नगर परिषद द्वारा निर्माण स्वीकृति जारी किये जाने से स्वामित्व/मालिकाना हक प्राप्त नहीं होता है।

बिन्दू संख्या 1,2 व 4— प्रकरण में प्रार्थना पत्र पर पार्षद की तक निर्माण स्वीकृति की सिफारिस करने या ना करने सम्बन्धि कोई बिन्दू तय नहीं होना और नाहीं यहॉ यह तय करना है कि को विवादित आराजी ग्रांम पचांयत ने हनुमान मन्दिर आरक्षित की गई है या नहीं।

प्रकरण में मुख्य बिन्दू है कि ग्रांम पंचायत सेवर द्वारा भगवानसिंह पुत्र विजयसिंह को कथित पट्टा जो दिनांक 10.12.1986 को जारी किया गया है का है। उस पट्टे के भूखण्ड को श्रीमती शकुन्तला देवी पत्नी रामजीलाल यादव ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 25.3.1992 को भगवानसिंह पुत्र विजयसिंह से क्रय किया गया है। ग्रांम पंचायत सेवर द्वारा जारी कथित पट्टे के सम्बन्ध में इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 20.7.2009 के पेज—3 में विस्तृत विवेचन किया गया है। तहसीलदार भरतपुर से प्राप्त रिपोर्ट पत्र क्रमांक एलआर/24/5154 दिनांक 14—8—2024 में (कथित पट्टा जो कि भगवानसिंह पुत्र विजयसिंह के हक में जारी किया गया है जिसके आधार पर यह विवादित भूखण्ड श्रीमती शकुन्तला देवी पत्नी रामजीलाल ने क्रय शुदा को) विवादित भूखण्ड आराजी खसरा नम्बर 1819 रकवा 1.85 है0 में मन्दिर के बगल में स्थित होना बताया गया है। पत्रावली में उपलब्ध उप जिला कलेक्टर, भरतपुर का पत्र क्रमांक/राजस्व/विविध/05/687 दिनांक 31.8.05 में अंकित किया है कि ".....आराजी खसरा नम्बर 1819 रकवा 1.88 गै.मु. भूमि दर्ज है। मौके पर उक्त आराजी में आबादी पटवार घर अस्पताल, पूर्व की तरफ

.........5

जिला कलक्टर
भरतपुर

बल्ली लगाकर तार लगाये हुये शेष भूमि विवादित में पानी भरा हुआ है हनुमान मन्दिर पुजारी ने बतलाया कि तार सिकलीगर मौहल्ला वालों ने लगाये हैं.....।" ग्रांम पंचायत सेवर द्वारा जारी कथित पट्टे के सम्बन्ध में इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 20.4.2009 में विस्तृत विवेचन किया गया है।

बिन्दू संख्या 3 – उक्त बिन्दू के पालना में हितधारी व्यक्तियों यथा भगवानसिंह पुत्र विजयसिह चौहान को नोटिस जारी किया गया बाबजूद सूचना विजयसिंह न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं आया। अप्रार्थी श्रीमती शकुन्तला देवी पत्नी रामजीलाल यादव की ओर से उनके अभिभाषक उपस्थित आये। श्रीमती शकुन्तला देवी एवं रामजीलाल यादव के फोत होने के बाद उनके वारिसान की ओर से अभिभाषक पंकज कुमार उपस्थित होकर विधिवत पैरवी की है।

योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की सुनवाई में योग्य अभिभाषक अप्रार्थी 1–2/1 एवं 1–2/2 का यही कहना है कि उक्त भूखण्ड जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 25.3.1992 को भगवानसिंह पुत्र विजयसिंह से हमारे माता श्रीमती शकुन्तला देवी ने क्रय किया था। चूँकि भगवानसिंह पुत्र विजयसिंह चौहान को ग्रांम पंचायत सेवर द्वारा जारी कथित पट्टा तारीखी 10.12.1986 के सम्बन्ध में इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 20.7.2009 में विस्तृत विवेचन करते हुये निरस्त किया गया है। पक्षकारान की ओर से कोई नये साक्ष्य/सबूत प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, जिस के आधार पर इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 20.7.2009 पर पुनः विचार किया जावे।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार कथित पट्टा भगवानसिंह पुत्र विजयसिंह जाति चौहान तारीखी 10.12.1986 सरंपच ग्रांम पंचायत सेवर निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30–8–2024 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
भरतपुर